मुकदमा नम्बर 2019/00001

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
20.08.2024	पूर्व में दिनांक 05.08.24 को इस न्यायालय द्वारा आवेदन पत्र 183–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आधार पर पोषणीय नही होना माना गया कि अप्रार्थी द्वारा पेश किऐ गऐ ईकरारनामों/बैयनामों की वैधता सिद्ध करने का अधिकार इस न्यायालय को नही है एवं ईकरारनामे/बैयनामों की वैधता सक्षम न्यायालय से सिद्ध किऐ जाने की अवधारणा भी पारित की गई है। जिसके विरूद्ध प्रार्थी चानणमल द्वारा विस्तृत तथ्य अंकित करते हुऐ न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 05.08.24 को पारित किया गया उसे पक्षपात पूर्ण पारित किया जाना बताते हुऐ प्रश्नगत ईकरारनामें/बैयनामों को वैध नही होने का कथन कर प्रकरण को पुनर्वलोकन करने का आवेदन धारा 229 राजस्थान काश्ताकरी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी चानणमल द्वारा प्रस्तुत आवेदन–पत्र पुनर्वलोकन में मुरक रूप से ईकरारनामों/बैयनामों के अवैध होने के कारण पूर्व निर्णय दिनांक 05.08.24 का पुनर्विलोकन कर वास्तविक आदेश सक्षिप्त में दिए जाने के कथन किऐ है। इस न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 05.08.24 को पारित आदेश में प्रकरण में प्रस्तुत हुऐ ईकरारनामों/बैयनामों को वैधता बाबत कारण सहित अवधारणा पारित की जा चुकी है। कानूनन नजरसानी एक अतिरिक्त अपील का माध्यम नही बन सकती है एवं नजरसानी का दायरा बहुत सीमित है। और नजरसानी की आड़ में मामले का पुनः परीक्षण नही किया जा सकता यदि गुणावगुण के आधार पर कोई गलती बताई जाती है तो उक्त निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ना कि नजरसानी के प्रार्थना पत्र के माध्यम से। अगर कोई निर्णय गलत पारित किया गया है तो उसे नजरसानी का आधार नही बनाया जा सकता है। धारा 183–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अतिचारियों की सक्षिप्त बेदखली एवं सक्षिप्त जांच की रीति से किऐ जाने का उल्लेख है। उक्त विवेचन एवं विशलेषण के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन आवेदन पत्र खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है। तहसीलदार (राजस्व) नोहर	